मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री) (कु० शैलजा): (क) सरकार मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, समाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और समय-समय पर इस संस्थान द्वारा निर्णय लिए गए ऐसे अन्य क्षेत्रों के चुने हुए विषयों में अनुसंधान को प्रोन्नत करने के लिए इस संस्थान को अनुदान संस्वीकृत करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संस्थान को प्रदत्त निधियों का विवरण निम्नवत् है:—

(रु० लाखों में)

वर्ष	योजनागत	योजनेत्तर
1992-93	39.99	119.94
1993-94	35.00	134.69
1994-95	69.99	157.83

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान शिक्षावृत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम और उनमें से प्रत्येक को संस्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट-173, अनुपत्र सं० 125]

(ग) जी, नहीं। अध्येताओं का चयन तीन विभिन्न समितियों द्वारा किया जाता है, जो संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं।

(घ) सरकार ने इस संस्थान के कार्यों की समीक्षा करने के लिए 1978 में ए० के० दास गुप्ता समिति और 1980 में कृष्णा कृपलानी समिति नियुक्त की। इसके अतिरिक्त इस संस्थान के शासी निकाय के कार्य निष्पादन की समीक्षा (i) सी० डी० देशमुख समिति (1968), (ii) तथ्य खोजी समिति (1987), (iii) समीक्षा समिति (1991) और (iv) कार्यनिष्पादन लेखा समिति (1994) जैसी विभिन्न समितियों द्वारा की गई।

आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को लाभ

5689. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 23 दिसम्बर, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2795 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं को दिये जाने वाले लाभों के विवरण के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुदेश संहिताबद्ध न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) राजभाषा आयोग में भिन्न-भिन्न भाषाओं के नियुक्त किये गए प्रतिनिधियों का भाषा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए निर्धारित की गई राशि का भाषा-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उप मंत्री) (कु० सैलजा): (क) गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को दिए जाने वाले लाभों के ब्यौरों के संबंध में कोई अनुदेश वर्गीकृत नहीं किए गए हैं क्योंकि संविधान के सम्बंधित अनुच्छेदों में जो उल्लेख किया गया है संविधान में उससे परे किन्हीं ऐसे लाभों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ख) गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस समय कोई राजभाषा आयोग विद्यमान नहीं है। अनुच्छेद-344 के अधीन नियुक्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में प्रस्तुत कर दिया था और दस वर्षों की समाप्ति के बाद, किसी आयोग को नियुक्त करना अनिवार्य नहीं समझा गया था।

(ग) आधुनिक भारतीय भाषाओं सम्बंधी योजना के बारे में आबंटनः—

	1994-95 (लाख रुपयें में)	
	आयोजना	योजनेतर
(1) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान और उसके क्षेत्रीय केन्द्र	90.00	249.00
(2) विश्वविद्यालय स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने की योजना	—	10.00

	आयोजना	योजनेतर
(3) प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	27.00	—
(4) तरक्की -ए-उर्दू बोर्ड	85.00	45.00
(5) उर्दू विश्वविद्यालय	1.00	—
(6) उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति	80.00	—
(7) सिंधी विकास बोर्ड	60.00	—
(8) आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	60.00	—
(9) अंग्रेजी शिक्षण संस्थान और अंग्रेजी के लिए जिला केन्द्रों को वित्तीय सहायता देने संबंधी योजना	40.00	—
(10) अंग्रेजी भाषा के लिए सहायता-प्रकाशनों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	8.00	—
11) क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों, और अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में संलग्न अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता सम्बंधी योजना	27.00	—
	478.00	304.00

Appointment of Medical Attendants for KVS Employees

5690. SHRI J.S. RAJU: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether authorised Medical Attendents had been appointed by Kendriya Vidyalaya Sangathan last year for Delhi and other regions for a period of one year;

(b) whether it is a fact that their appointments have not been renewed; and

(c) if so, the stand taken by the Sangathan thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) to (c) Since 1986, Authorised Medical Attendants are appointed in the Kendriya Vidyalaya Sangathan for a period of one year. The appointments are renewed based on the request of the beneficiaries and subject to the continuance of the Doctor concerned as AMA in the panel approved by the Central Government Employees Welfare Coordination Committees. Necessary powers for appointing Authorised Medical Attendants have been delegated to the Assistant Commissioners in the Regional Offices. The Sangathan is not aware of any specific case of non-renewal of appointment in respect of any Authorised Medical Attendants.

शिमला स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ एडवान्स स्टडी को दी गई वित्तीय सहायता

5691. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिमला स्थित इण्डियन इंस्टीट्यट आफ एडवान्स स्टडी केन्द्र में अब तक सम्पन्न किये गए उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए केन्द्रीय सरकार ने शोधवृत्तियां अथवा वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) गत छः वर्षों के दौरान किन-किन व्यक्तियों को किन-किन कार्यों हेतु कितनी निर्धारित राशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या किसी व्यक्ति को राजभाषा हिन्दी के संबंध में कार्य करने अथवा हिन्दी में कार्य करने के लिए शोधवृत्ति दी गई; और